न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 43/2016 (223 आरटीए) गुलाबराम वगै. बनाम केलाश वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00125)

1 गुलाबराम पुत्र प्रतापराम,
2 घेवरराम पुत्र प्रतापराम,
3 हडमानराम पुत्र स्व. पुखराज,
4 ओमप्रकाश पुत्र स्व. पुखराज,
5 केशरमल पुत्र स्व. पुखराज
सभी जाति दर्जी निवासीगण गांव खाटावास, तहसील लूनी, जिला जोधपुर।
.... अपीलांटस्

बनाम

1 कैलाश पुत्र स्व. बस्तीराम के कायम मुकाम
1/1 श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी कैलाश,
1/2 दिनेश पुत्र कैलाश,
2 दुर्गावती पत्नी स्व. महेश,
3 दीपक पुत्र स्व. महेश,
4 दिलीप पुत्र स्व. महेश,
5 रौनक पुत्री स्व. महेश,
6 दीपमाला पत्नी स्व. राजेन्द्र,
7 हिमांशु पुत्र स्व. राजेन्द्र,
8 जयन्ति पुत्री स्व. राजेन्द्र,
जातियान दर्जी निवासीगण मकान नं. 721 शांति सदन तीसरी चौपासनी रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर।
9 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार लूनी।
10 जड़ाव पत्नी स्व. पुखराज,
11 उच्छब देवी पुत्री स्व. पुखराज,
12 गोटा पुत्री स्व. पुखराज,
13 मधु पुत्री स्व. पुखराज,
14 सीना पुत्री स्व. पुखराज,
15 सुमित्रा पुत्री स्व. पुखराज,
16 बेबी पुत्री स्व. पुखराज
जातियान दर्जी निवासीगण गांव खाटावास, तहसील लूनी जिला जोधपुर।
.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 28.08.2015 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 39/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।

2 रेस्पो. सं. 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश टाक।

3 रेस्पो. सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 रेस्पो. सं. 10 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 28.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व वाद सं. 39/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 39/2014 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खाटावास के खसरा नं. 159 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 186 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 295 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 296 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 298 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नं. 301 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा प्रताप जी अपने जीवन काल में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज थे एवं काश्त करते थे। प्रताप जी का देहांत होने पर उक्त खसरा व रकबा पर वादी सं. 1 व 2 एवं वादी सं. 3 से 5 के पिता पुखराज जी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। पुखराज जी का देहांत होने पर पुखराज जी के वारिसान वादी सं. 3 से 5 एवं रेस्पो. सं. 10 से 16 बतौर वारिसान काबिज हुए एवं काश्त करने लगे। वर्तमान में अपीलांट्स का कब्जा काश्त है एवं अपीलांट्स ही उपरोक्त खसरा रकबा की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। रेस्पो. सं. 10 से 16 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं हैं क्योंकि उनकी शादी काफी समय पूर्व हो चुकी थी तथा अपने–अपने ससुराल में परिवार सहित निवास करती हैं। प्रताप जी के चार जायंदा पुत्र हैं जिसमें से बस्तीराम जेठू जी के गोद चले गए एवं बस्तीराम जेठूजी के परिवार के साथ गोद पुत्र की हैसियत से निवास करना शुरू कर दिया। इस कारण बस्तीराम का उपरोक्त खसरा रकबा में किसी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार शेष नहीं रहा। बस्तीराम ने अपने गोद पिता जेठू जी की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर लिया है। जेठूजी के देहांत होने के

राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

पश्चात जेठूजी की चल अचल संपत्ति पर बस्तीराम का गोद पुत्र की हैसियत से रहा था। बस्तीराम का देहांत दिनांक 20.05.1995 को हो चुका था। बस्तीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम जेठूजी मकवाना अंकित है। इससे स्पष्ट है कि बस्तीराम, जेठू जी के गोद चले जाने के कारण वादग्रस्त आराजीयात में जेठूजी का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है। अपीलांट्स ने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया कि बस्तीराम जेठू जी के गोद चले जाने के कारा प्रताप की संपत्ति कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा लेकिन प्रताप जी का देहांत होने के पश्चात हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रताप जी के विधिक वारिसान की जांच किए बिना ही राजस्व रिकार्ड में विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज कर दिया जबकि बस्तीराम ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजीयात के हक हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का उज्र ऐतराज नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स का वाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स के सम्मन दिनांक 13.10.2014 को तामीलसुदा प्राप्त हुए लेकिन रेस्पोडेंट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ इस कारण रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट्स ने मौखिक साक्ष्य में गुलाबराम व नरपतसिंह के बयान कलमबद्ध करवाए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श–1, मतदाता सूची प्रदर्श–2 व 3, बस्तीराम के शोक संदेश की अखबार प्रति प्रदर्श–4 एवं राव बही प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाए। रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई उपस्थिति नहीं होने के कारण अपीलांट्स के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का वाद दिनांक 28.08.2015 को निरस्त कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। बस्तीराम जेठूजी के संवत 1985 में ही गोद जा चुके थे इसलिए प्रताप जी का उक्त वादग्रस्त भूमि में बस्तीराम का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा। बस्तीराम अपने जीवनकाल में सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अन्य दस्तावेजात में अपने पिता का नाम जेठू जी दर्ज करते थे एवं बस्तीराम का देहांत होने पर बस्तीराम के वारिसान ने

को कोई खरीद न करे। वादीगण ने बस्तीराम जी के जीवन काल में राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। इसके अलावा अपील पेश करने में देरी करने के कारण अपील को मियाद बाहर बताया एवं प्रार्थना पत्र धारा–5 को खारिज कर अपील मियाद बाहर माना जाकर अपील को मैरिट एवं मियाद दोनों बिंदुओं पर खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया है। रेस्पोडेंट के द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब अथवा काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। काउंटर शपथ पत्र एवं जबाब प्रस्तुत नहीं होने से अपीलांट द्वारा दिए गए शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुए धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है अतः निर्णय के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा माना जाता है।

9 इस प्रकरण में अपीलांट की ओर से मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया है कि बस्तीराम जेठूजी के गोद जा चुके थे इसलिए प्रताप जी का उक्त वादग्रस्त भूमि में बस्तीराम का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा। बस्तीराम अपने जीवनकाल में सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अन्य दस्तावेजात में अपने पिता का नाम जेठू जी दर्ज करते थे एवं बस्तीराम का देहांत होने पर बस्तीराम के वारिसान ने बस्तीराम का जो मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया उसमें भी बस्तीराम के पिता का नाम जेठू जी अंकित किया गया। इसके अलावा बस्तीराम के मतदाता सूची में पिता का नाम जेठू जी अंकित है। उपरोस्त सरकारी दस्तावेज बस्तीराम से संबंधित होने के कारण नहीं मानने का कोई कारण ही नहीं हैं लेकिन उपरोक्त दस्तावेजों को नहीं मानकर कानूनी एवं विधिक भूल की है। अपीलांट्स की ओर से उक्त दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को प्रदर्शित दस्तावेजात का अवलोकन किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त राव बही एक पुख्ता

दस्तावेज होता है। अपीलांट्स के गवाह पी.डब्लू–2 नरपतसिंह ने राव बही को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित किया है और यह बताया कि जेठूजी ने बस्तीराम को सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार गोद लिया है जिसकी लिखत राव बही में की हुई जो प्रदर्श–5 है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर किसी प्रकार का अवलोकन नहीं किया है तथा शपथ पत्र के जरिए इन दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र यह कह कर दस्तावेजात पर गौर नहीं किया कि समस्त दस्तावेज फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। बस्तीराम को जेठूजी ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया है विधि में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिए जाने का प्रावधान है। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बस्तीराम के गोद चले जाने के तथ्य को साबित करते हुए गोद लेने की रस्म (आदान–प्रदान) को साबित किया है। इसलिए गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स की ओर से किसी प्रकार का जवाब दावा या उज्र ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट्स की ओर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अखण्डित रहा व इन अखण्डित तथ्यों को नहीं मानने का कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में अंकित नहीं किया है।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया गया। यह सही है कि दावे के समर्थन में केवल दस्तावेजात की फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। लेकिन इन दस्तावेजों में वर्ष 1980 की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 41 की वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोस्टेट प्रतिलिपि भी पेश की है जिसमें बस्तीराम के पिता का नाम जेठू जी अंकित है। जो राजकीय दस्तावेज है। अपीलांट का तर्क है कि दस्तावेजों की पुष्ठि में एवं गोदनामा सामाजिक रीति रिवाज से होने के संबंध में वादी गुलाब राम, एवं राव नरपतसिंह के तस्दीक शुदा शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। इस निर्णय में केवल फोटोस्टेट प्रतियां होने से दस्तावेजों को मान्य नहीं किया है लेकिन वादीगण की ओर से प्रस्तुत तस्दीक शुदा शपथ पत्रों एवं शपथ पत्रों में अंकित सामाजिक रीति रिवाज से गोदनामे की रस्म को संपन्न होने के तथ्यों के संबंध में पूर्ण विवेचन किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट की ओर से कोई उज्र ऐतराज या खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ था ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्य को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। वोटरलिस्ट जो एक राजकीय दस्तावेज है उसमें बस्तीराम के पिता का जेठू जी अंकित है इस

तथ्य को केवल वोटर लिस्ट की फोटोस्टेट प्रति होने से अमान्य नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकरण अपील के स्तर पर उभयपक्षकारान उपस्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 उपस्थित नहीं थे एवं उनका जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ था। अतः इस न्यायालय की राय में रेस्पोडेंट्स को जबाबदावा का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पुनः साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तदनुसार प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त आब्जरवेशन्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 को जबाबदावा का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पुनः साक्ष्य का अवसर दिया जाकर व उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर